Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
July to September 2025, E-Journal, Vol. I, Issue LI (51), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

महिला सशक्तिकरण : चुनौतियां एवं समाधान

डॉ. डी.पी. कुशवाहा* डॉ. मंजू कुशवाह**

* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) छत्रशाल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पन्ना (म.प्र.) भारत
** सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़ (म.प्र.) भारत

शोध सारांश – आबादी का आधा हिस्सा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की मुख्य धारा से दूर हो, यह अल्प विकास का द्योतक है। आजादी के अमृत महोत्सव में भी अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही महिलाएं समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रश्नचिन्ह हैं। महिला सशक्तिकरण वर्तमान सबसे प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। भारत ने विकास के उच्च मापदंड स्थापित कर चांद की दूरी तय कर ली है। परंतु पुरुष-महिला अनुपात ठीक करने में और कितनी सदियां लगेगी। किसी भी देश की महिलाएं आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, इनका आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त होना अति आवश्यक है। महिला सशक्तिकरण के तहत महिलाओं को आर्थिक-सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है जिससे वे अपने आर्थिक-सामाजिक जीवन को को सुदृढ़ बना सकें। वास्तव में सशक्तिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें अधिकारों एवं शक्तियों का समावेश होता है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य महिलाओं को स्वयं से निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना है, ताकि वे अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए सभी निर्णय ले सके। इसी प्रकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से आशय आर्थिक निर्णय लेने की शक्ति और महिलाओं को अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी का अवसर उपलब्ध कराने से है। ताकि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, जीवन स्तर, स्वतंत्रता एवं कार्य सहभागिता में वृद्धि हो सके।

शब्द कुंजी : महिला, सशक्तिकरण, पितृसत्ता, भ्रूणहत्या, उत्तरदायित्व, रूढ़िवादिता, आधुनिकता, समावेशी।

प्रस्तावना – जहां तक महिलाओं की योग्यता और कौशल का प्रश्न है। महिलाओं को अब अपनी योग्यता साबित करने के लिए किसी विशेष व्यवसाय का चयन करने की आवश्यकता नही हैं। बल्कि तमाम बंदिशों के बावजूद वे ऐसी योग्यता और कौशल हासिल कर लेती हैं जो पुरुषों से जरा भी काम नहीं है। जिस प्रकार कुछ काम को केवल पुरुषों के करने लायक मानना पूर्वाग्रह है। ठीक उसी तरह से महिलाओं को उनके पुरुष सहयोगियों से बेहतर मान लेना भी एक तरह का भेदभाव ही होगा। इससे प्राय: मानववाद और स्त्रीवाद के बीच वाद विवाद छिड़ जाता है।[1] जब सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हो जाते है, तो प्राय: समानता का भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जो सही नही हैं। क्योकि दूसरी तरफ हम समानता की बात कैसे कह सकते हैं जब एक कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, गर्भ में मार दिया जाता है, शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लड़को पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तमाम योग्यताओं के बावजूद परिवार पितृसत्तात्मक ही होता है, तो उसका सामाजिक बराबरी का अवसर छिन जाता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सामने आता है। ठीक उसी तरह जैसे समाज के अन्य वंचित वर्गो के सशक्तिकरण की बात आती है। सवाल औरत के कमजोर होने का नहीं हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के कमजोर होने का है। मुश्किलों को स्वीकार कर कड़े फैसले लेना ही सशक्तिकरण नहीं है, या फिर हर दौड़ में आगे होना अथवा हर बार शिखर पर होना ही जरूरी नहीं है, लेकिन हर बार गिरकर संभालना और ज्यादा ताकत एवं नए संकल्प के साथ खड़े हो जाना भी महत्वपूर्ण है, यही मायने में यही सशक्तिकरण है। स्त्री पुरुष असमानता बड़े पैमाने पर व्याप्त है। लाखों महिलाओं को परिवार के साथ-साथ समाज में भी व्यापक सामाजिक - सांस्कृतिक और आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

अध्ययन के उद्देश्य :

1. महिलाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा करना।
3. महिला सशक्तिकरण के लिए उचिम समाधान प्रदान करना।

अध्ययन में समंको चयन : प्रस्तुत शोध अध्ययन में द्वितीयक समंकों का उपयोग किया गया है।

अध्ययन का समग्र एवं अध्ययन की इकाई : प्रस्तुत शोध अध्ययन में भारत की समस्त महिलाएं अध्ययन का समग्र हैं एवं एक महिला अध्ययन की इकाई है।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित चुनौतियाँ : देश में महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित प्रमुख बिन्दु निम्नानुसार हैं:

1. घरेलू हिंसा : भारत के लगभग सभी प्रांतों में होती है, परंतु इसे महिलाएं-पुरुष दोनों ही पारिवारिक जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, जो चिंता का विषय है। परिवार भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है और देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के केंद्र में है। परन्तु महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से कई परिवार सुरक्षात्मक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि महिला पुरुष भेदभाव के व्यापक स्वरूप को मजबूत करते हैं। साथ ही महिलाओं को नियंत्रित करने एवं उन्हें अधीन रखने के तरीके के रूप में हिंसा को वैध ठहराते हैं। 2021 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच 34 प्रतिशत महिलाओं

ने हिंसा का सामना किया।[2] राष्ट्रीय महिला आयोग के अनुसार भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा मामलों में दोगुनी वृद्धि हुई। जो चौकाने वाला है।

2. दहेज प्रथा : भारत की सामाजिक कुरीतियों में दहेज प्रमुख कुरीति में से एक है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2021 के अनुसार भारत में दहेज के कारण मौत के मामलों की सालाना संख्या 7000 के पार हो गई है। दहेज एक सामाजिक-सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे लड़की का परिवार दूल्हे को नकद और उपहार देता है। मूलत: यह सब अपने विवाहित जीवन की शुरुआत करने वाले नए जोड़ों की सहायता करने के लिए था। परन्तु पितृसत्ता और लालच ने दहेज को लेनदेन के सौधे के रुप में बदल दिया। महिलाओं के प्रति दहेज हिंसा प्राय: तब बढ़ जाती जब कोई परिवार शादी पर मिले दहेज से असंतुष्टि दिखाता है अथवा बिवाह पश्चात् दहेज की मांग करता है। यह संवैधानिक रूप से दहेज का लेनदेन अवैध है फिर भी यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पूरे भारत में प्रचलित है।

3. कन्या भ्रूण हत्या : कन्या भ्रूण हत्या पुत्र मोह और पितृसत्ता की कुप्रथा को उजागर करती है। यह हिंसा एक कपटी के रूप में प्रदर्शित होती है, क्योंकि यह लड़कियों को केवल इसलिए पैदा होने से रोकती है, क्योंकि वे लड़कियां हैं। कन्या भ्रूणहत्या की स्थिति लगातार बढोत्तरी हो रही है। भारत में हर साल लगभग छ: लाख लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती। कितना भयावह है यह आकड़ा। अत्याधुनिक तकनीकी की उपलब्धता होने कोई भी यह पता लगा सकता है कि गर्भ में पल रहा भ्रूण लड़की है अथवा लड़का। लड़की होने का परिणाम गर्भपात है। असल में भ्रूण का लिंग परीक्षण कराया ही इसलिए जाता है कि केवल लड़का ही पैदा करना है। पिछले दो दशकों में अनुमानत: 10 मिलियन कन्या भ्रूण होने के कारण गर्भपात कराया गया है।

4. लैंगिक भेदभाव : भारतीय समाज के बीच लैंगिक भेदभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। पारिवारिक में लड़के और लड़की को शिक्षा जैसे अवसर की समान उपलब्धता बाहरी रूप से अवष्य दृष्टिगोचर होती है, परंतु दो अवसरों में बेहतर अवसर प्रदान करने की बारी आती है तब लड़कियां पीछे रह जाती हैं। पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण पारिवारिक निर्णय प्राय: लड़के को केंद्र में रख कर लिए जाते हैं और लड़कियों का शिक्षण इत्यादि समान अवसर उपलब्ध होने के बावजूद लैंगिक भेदभाव का शिकार हो जाती है। विवाह अंतिम उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाता है। विवाह उपरांत वही पारिवारिक संघर्ष पुन: महिला को महिला होने के परिणाम के रूप में प्राप्त होता है।

5. स्त्री पुरुष अनुपात : स्वस्थ सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए देश में स्त्री और पुरुषों का अनुपात बराबर होना चाहिए। आजादी के पूर्व और आजादी के अमृत महोत्सव के बाद भी भारत में स्त्री पुरुष अनुपात बेहद संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के पीछे 943 महिलाएं हैं। मध्य प्रदेश में स्थिति और दयनीय है यहां मात्र 931 महिलाएं ही हैं।[3] यह विडंबना इस समय है, जब भारत विकास के नए-नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। परंतु समाज की जड़ों में पितृसत्तात्मक समाज का मोह है। जो समाज को अंदर ही अंदर कमजोर कर रहा है।

6. शैक्षणिक अवसर : भारतीय समाज शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने में दोहरे मापदंडों का उपयोग करता है। सामाजिक संरचना इस प्रकार की है जिसमें बेहतर अवसर लड़कों के पक्ष में होने के कारण हजारों लड़कियां अपनी मनपसंद के करियर ऑप्शन नहीं चुन पाती हैं और सामाजिक रूढ़िवादिता का शिकार हो जाती हैं।[4] परन्तु भारत के जिन परिवारों ने महिलाओं को अवसर उपलब्ध करा, हैं उनके परिणाम निश्चित रूप से सुखद रहे हैं।

7. स्वास्थ्य और पोषण : पौष्टिक भोजन स्वास्थ्य के लिए मजबूत और महत्वपूर्ण आधारशिला है। संपूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण, सुरक्षा और उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना तथा पोषण युक्त आहार की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अच्छा पोषण, नियमित शारीरिक गतिविधि और पर्याप्त नींद स्वच्छ जीवन के लिए आवश्यक नियम है। भारतीय उद्योग परिसंघ और डैनोन इंडिया ने 2021 में आठ भारतीय शहरों में सर्वे के दौरान दो में से एक वयस्क व्यक्ति को खराब जीवन शैली से जीने और 60 प्रतिशत महिलाओं को एनीमिक बताया।[5] हालांकि भारत में मातृ एवं शिशु सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है। नगरों की तुलना में ग्रामीण स्वास्थ्य की स्थिति अधिक खराब है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है।

8. साक्षरता दर : शिक्षित, कुशल तथा योग्य जनसंख्या किसी भी देश के वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करती है। मानवी पूंजी ही राष्ट्र की वास्तविक पूंजी होती है, जो राष्ट्र निर्माण में अपना अप्रतिम योगदान देती है। 2011 की जनगणना के आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में महिला शिक्षा का अनुपात पुरुषों से काफी कम है। कुल 74.04 फीसदी शिक्षा में महिलाओं का अनुपात 65.46 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों का 82.52 प्रतिशत। मध्य प्रदेश में भी यह स्तर पुरुषों की तुलना में करीब 20 प्रतिशत पीछे है। यहां की कुल 70.6 प्रतिशत शिक्षित आबादी में महिलाएं मात्र 60 प्रतिशत ही शिक्षित हैं, जबकि पुरुष 80.5 प्रतिशत।[6] उपरोक्त आंकड़े पुरुषों की तुलना में महिलाओं के न्यूनतम शैक्षणिक स्तर और न्यूनतम् अवसर को इंगित करते हैं।

भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित कानून – भारत में महिला सुरक्षा से संबंधित अनेक संबैधानिक अधिकार, कानून, न्यायिक घोषणाओं, अनौपचारिक और औपचारिक समूहों जैसे कि दबाव समूहों, सामाजिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों के दबाव के साथ-साथ भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। भारत में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कानूनी प्रावधान हैं-

1. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 : यह कानून महिला सुरक्षा दिशा-निर्देशों पर आधारित है। यह दस से अधिक कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए आंतरिक शिकायत समिति बनाने का निर्देश देता है। यह यौन उत्पीड़न को भी परिभाषित करता है और शिकायत प्रक्रियाओं की रूपरेखा तैयार करता है।[7] इस अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना और उनका समाधान करना तथा ऐसे उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है।

2. निर्भया अधिनियम या आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013: निर्भया अधिनियम, जिसे आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 के रूप में भी जाना जाता है। इस अधिनियम को लागू करने का प्राथमिक कारण 2013 को नई दिल्ली में हुई एक जघन्य घटना थी। इस घटना के कारण बलात्कार कानूनों में तत्काल सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में यौन अपराधों से

संबंधित कानूनों में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था।[8] यह अधिनियम एसिड हमलों, यौन उत्पीड़न, ताक-झांक और पीछा करने को अपराध मानता है। कुख्यात निर्भया मामले के बाद लागू किए गए इस कानून में फास्ट ट्रैक कोर्ट (एफटीसी) के माध्यम से तेजी से जांच और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया।

3. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 :यह अधिनियम बच्चों और नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटता है। इसमें अपराधियों के लिए सख्त सजा और त्वरित सुनवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट (FTC) का प्रावधान है।[9] यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 को न्यायिक प्रक्रिया के हर चरण में बच्चों के हितों की रक्षा करते हुए यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

4. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 : यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि नाबालिगों को बाल विवाह की बुराइयों से बचाया जाए। इस कानून के अनुसार, बाल विवाह वह विवाह है जिसमें या तो महिला की आयु 18 वर्ष से कम होती है या पुरुष की आयु 21 वर्ष से कम होती है।[10] अधिकांश बाल विवाहों में कम उम्र की महिलाएं शामिल होती हैं, जिनमें से कई खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति और जागरूकता की कमी से जूझ रही होती हैं।

5. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005: यह अधिनियम निर्देशात्मक होने के साथ-साथ वर्णनात्मक भी है क्योंकि यह न केवल घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है बल्कि घर के भीतर दुर्व्यवहार के लिए नागरिक उपचार भी प्रदान करता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 संविधान के तहत गारंटीकृत महिलाओं के अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण के लिए एक अधिनियम, जो परिवार के भीतर होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक स्वरूपों की शिकार हैं।[11]

6. महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986: यह अधिनियम सोशल मीडिया और प्रकाशनों सहित डिजिटल और प्रिंट मीडिया में महिलाओं के अभद्र चित्रण पर प्रतिबंध लगाता है। महिलाओं का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 भारत की संसद का एक अधिनियम है, जिसे फिल्म, वेब सीरीज, विज्ञापन या प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग, आंकड़े या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र चित्रण को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया है।[12]

7. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (आईटीपी), 1956 : यह अधिनियम महिलाओं के व्यावसायीकरण और तस्करी को रोकता है, वेश्यालयों और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि वेश्यावृत्ति को विनियमित करता है। अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 का उद्देश्य बुराइयों के व्यावसायीकरण और महिलाओं की तस्करी को रोकना है।[13] यह यौन कार्य के आसपास के कानूनी ढाँचे को चित्रित करता है। हालाँकि यह अधिनियम स्वयं यौन कार्य को अवैध घोषित नहीं करता है, लेकिन यह वेश्यालय चलाने पर रोक लगाता है।

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी पहल

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ : यह अभियान लिंग-भेदभावपूर्ण, लिंग-चयनात्मक उन्मूलन को रोकती है, बालिकाओं की सुरक्षा और जीवन रक्षा सुनिश्चित करती है, लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए प्रेरित करती है और लड़कियों के बीच शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाने पर जोर देती है। हरियाणा जैसे राज्यों इस अभियान की अधिक आवश्यकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन-काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है।[14] यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। 2014 के अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिको से भारत में लड़कियों के खिलाफ लिंगभेद को समाप्त करने में मदद करने के लिए कहा। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई है।

2. निर्भया फंड : यह फंड कुख्यात दिल्ली सामूहिक घटना के बाद स्थापित किया गया है। और इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए शुरू की गई परियोजनाओं को वित्तपोषित करना है। निर्भया फंड की घोषणा वित्ता मंत्री ने अपने 2013 के बजट भाषण में की थी, जिसमें महिलाओं और बालिकाओं के सशक्तीकरण, सुरक्षा और संरक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये का सरकारी योगदान है।[15] इस फंड का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है।

3. वन स्टॉप सेंटर और महिला हेल्पलाइन : इसका उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करना तथा 24 घंटे आपातकालीन एवं गैर-आपातकालीन सहायता प्रदान करना है। महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा से लड़ने के लिए एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सहायता सहित विभिन्न सेवाओं तक तत्काल, आपातकालीन और गैर-आपातकालीन पहुंच की सुविधा प्रदान करना है।[16]

4. महिला पुलिस स्वयंसेवक : संकटग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का गठन किया जाता है और उन्हें पुलिस और समुदाय के बीच सेतु या मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए तैनात किया जाता है।

5. कामकाजी महिला छात्रावास योजना : यह योजना कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराती है। इसके अलावा शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। शहरी, अर्ध-शहरी या यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, कामकाजी महिलाओं के लिए आवास को बढ़ावा देने के लिए एक योजना, जिसमें उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा भी शामिल है।[17] कामकाजी महिलाओं, नौकरी के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिलाओं को भी इसमें शामिल है।

6. यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली : गृह मंत्रालय ने 2019 में आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसार यौन उत्पीड़न के मामलों की समय पर जांच की निगरानी और ट्रैक करने के लिए इस ट्रैकिंग प्रणाली की शुरुआत की। यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली (ITSSO) के बारे में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल उपलब्ध कराता है। यह राज्य को छः महीने में शीलभंग के मामलों में जाँच पूरी करने के लिए वास्तविक समय की निगरानी और प्रबंधन करने की अनुमति देता है।[18]

भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक समाधान – दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा और कन्या भ्रूण की स्थिति में गर्भपात के मामले पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा की आदत को दर्शाते हैं। संवैधानिक

प्रावधानों और भारतीय समाज द्वारा महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने और पुरुष-महिला के बीच समानता स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं। नए कानून और सरकारी नीतियों के साथ-साथ कानून लागू करने वाली एजेंसियां और समाज के बढ़ते सहयोग से हिंसा और व्यवहार के मामले में सहायता लेने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है। इसके अलावा कानूनी कार्यप्रणाली में भी सुधार किया जा रहा है। जिससे केश निपटान दर को बढ़ाने और महिलाओं के प्रति अपराधों को कम करने में सहायता मिल रही है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में विवाह के लिए पूर्व शर्त के रूप में किसी भी रूप में दहेज मांगने और देने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है। गर्भधारण और प्रसवपूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम 1994 के अनुसार लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रसव पूर्व तकनीक के उपयोग पर रोक लगाता है। परन्तू ऑनी किलिंग को सीधे तौर पर रोकने वाला कोई कानून नहीं है, लेकिन ऐसे अपराध के मामले में भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है। महिला संगठन भी महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित कर रहे हैं तथा पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करती हैं। कई गैर सरकारी संगठन भी महिलाओं के लिए परामर्श कानूनी सहायता और आजीविका कार्यक्रम चलाते हैं। ताकि वे अधिक सशक्त और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकें। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के समानांतर है। भारत में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण से उनकी राजनीतिक भागीदारी में अवश्य वृद्धि हुई है। हालांकि संसद में महिला सदस्यों के प्रतिशत के मामले में वर्ष 2020 में भारत 193 देश में 142 में स्थान पर था। 2019 में 78 अर्थात 14.4 प्रतिशत ही महिला सांसद चुनी गई थीं। जबकि 18वीं लोकसभा 2024 में मात्र 74 महिला सदस्य ही चुनी गईं जो 13.62 प्रतिशत है।

1. महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक दृष्टिकोण : वास्तव में महिलाओं के प्रति हिंसा भारत में सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित है। महिला प्रताड़ना के प्रति प्रतिक्रिया व्यापक होनी चाहिए और मजबूत कानून लिंग संवेदनशीलता कानून प्रवर्तन नीतियों और प्रोटोकॉल का विकास और कार्यान्वयन जमीनी स्तर पर जागरूकता हिंसा का सामने करने वाली महिलाओं और परिवारों की सहायता और महिलाओं को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए। तभी महिला सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर लाया जा सकता है। महिलाओं के खिलाफ भेदभाव से निपटने के लिए कानून और कानूनी ढांचे का विकास एक महत्वपूर्ण कदम है और हिंसा के अपराधियों को कठोर दण्ड के लिए मजबूत कानून का होना महत्वपूर्ण है। महिलाओं के खिलाफ सामाजिक सांस्कृतिक वैधता और उसके उनके साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कानून आवश्यक है। लेकिन केवल कानून बनना ही पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के हित में कानून प्रतीकात्मक से आगे बढ़े और प्रभावी ढंग से लागू किए जाएं हिंसा को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण के लिए धन और पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सबसे बड़ी बढ़ाओ में से एक है ।

2. महिला अपराध और कानूनी प्रक्रिया : महिलाओं के प्रति हिंसा संबंधी कानून के कार्यों से जुड़े मुख्य मुद्दों में से एक ऐसे अपराधों के लिए कानून लागू करने वाले कर्मियों की कार्यवाही है। कई मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रशिक्षण में कमी के कारण पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित कानून की कम समझ समस्या को और पेचीदा बना देती है। किसी भी प्रकार की पीड़ित महिला के साथ नियमानुसार त्वरित कार्यवाही न्याय की ओर पहला कदम है। जो मजबूत लोकतंत्र और महिला सशक्तिरण को सुदृढ. करता है।

3. महिलाओं के लिए सहायता सेवाओं में वृद्धि : किसी भी प्रकार के अपराध का सामना करने वाली महिलाओं के लिए पर्याप्त सहायता की व्यवस्था आवश्यक कदम हैं। संसाधनों की कमी का मतलब है कि महिलाएं हिंसा सहने के लिए मजबूर हैं। सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत आश्रय गृहों की संख्या वृध्दि और चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करके बुनियादी ढांचे को और मजबूत कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि जो महिलाएं हिंसक परिस्थितियों से बचकर बाहर आना चाहती हैं उनके लिए सुरक्षित वैकल्पिक आवास चिकित्सा सुविधा और सामाजिक सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। सहायता सेवाएं महिलाओं को उनके अधिकारों और हिंसा से बचने वाले कानून के बारे में भी शिक्षित करती हैं तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायता करती हैं।

4. पितृसत्ता से छुटकारा :भारतीय समाज में व्याप्त पितृसत्ता और कुप्रथाओं के निवारण के बिना महिला अपराध को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्थानीय समुदायों के सकारात्म जुड़ाव पीड़ित परिवारों के साथ संबंध बनाने और महिलाओं के अधिकारों पर शिक्षा कार्यक्रम बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। पुरुषों को भी हिंसा करने की परिणामों के बारे में भी आगाह किया जाए और उन्हें यह बताया जाए कि उनका गलत व्यवहार सामाजिक रूप से अस्वीकार और कानून का उल्लंघन दोनों है। यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे कार्यक्रम बनाते समय पितृसत्ता की संस्कृति को ध्यान में रखा जाए, ताकि शिक्षा अभियान समाज में बालिकाओं और महिलाओं के महत्व को उजागर किया जा सके और महिलाओं के प्रति पुराने दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाकर उनके प्रति सम्मान और संवेदनशीलता में बदला जा सके। तेजी भारत तेजी से आधुनिकरण की ओर बढ़ रहा है और पारंपरिक संस्कृतियों तथा प्रथाओं को नए सामाजिक सांस्कृतिक जामा पहनाया जा रहा है। अत: ऐसे विचार जो महिला सशक्तिकरण को रोकते हैं को पहचाना जाना अत्यावश्यक है।

5. स्व सहायता समूह : भारत के आर्थिक नीतियों में हमेशा से ही खासतौर से महिलाओं समेत गरीबों, हांसिए के लोगों और वंचित तपको के विकास पर जोर दिया जाता रहा है। सरकार की योजनाओं में समावेषी विकास, पूंजी निर्माण, सामुदायिक उद्यम तथा समुदाय के नेतृत्व में उत्पादन और उत्पादकता विकास के महत्व को रेखांकित किया गया है। महिला स्वसहायता समूह के जरिए यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से एक महिला को एक स्व सहायता समूह में शामिल किया जाए। स्वयं सहायता समूह ने आमदनी पैदा करने वाली गतिविधियों के लिए 2013-14 से लेकर 2020-21 तक कुल 03.56 लाख करोड रुपए के ऋण बैंकों से प्राप्त किए हैं।[19] जो अपने आप में एक उचित अवसर है।

6. महिला स्टार्टअप्स : देश में नवाचार और स्टार्टअप को के विकास के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा 2016 में इंडिया पहल शुरू की। स्टार्टअप की संख्या 2016 में मात्र 428 थी, सरकार के निरंतर प्रयास से 30 अप्रैल 2023 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 98119 हो गई है।

यह सकारात्मक बढ़ोत्तरी भारतीय अर्थव्यस्था में स्टार्टअप की निरंतर मजबूत होती स्थिति को उजागर करता है। इन स्टार्टअप्स ने समावेशी आर्थिक विकास को गति देते हुए 30 अप्रैल 2023 तक कुल 10.34 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा की हैं। स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। जो हमारे आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। इन स्टार्टअप्स में महिला उद्यमियों की संख्या लगातार बढ़ रही है 2017 में 6000 महिला स्टार्टअप थे जो की 2022 में बढ़कर 80000 तक पहुंच गए।[20] जो मजबूत होते महिला सशक्तिकरण को इंगित करता है।

7. महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व :स्थानीय स्वशासन के द्वारा महिलाओं को प्राप्त राजनीतिक सशक्तिकरण से देश के राजनीतिक विमर्श में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में सिर्फ संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक बदलाव लेकर आया है। महिला जनप्रतिनिधि बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षाद्ध घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति, उत्पीड़न और के आर्थिक विकास के विभिन्न मुद्दो प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय स्तर पर निर्णय ले रहीं हैं।[21] स्थानीय निकायों में 33 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।[22]

8. कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमी : महिला कृषको को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार एक साथ कई मोर्चो पर कार्य कर रही है। एक तरफ जहां कृषि और किसान खेती किसानी से जुड़ी तमाम परियोजनाओं और नीतियों में महिला किसानों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं देश के ग्रामीण समाज की संरचनाओं में उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है। कृषि क्षेत्र में हो रहे क्रांतिकारी परिवर्तन और महिलाओं की बढ़ रही प्रभावशाली भूमिका महिला सशक्तिकरण को मजबूती प्रदान कर रही है। पिछले कुछ वर्षो के दौरान देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2016 में जहां देश में एग्रीटेक स्टार्टअप की संख्या केवल 80-100 के आसपास थी, वहीं वर्ष 2022 में यह संख्या बढ़कर 1800 के पार हो गई। एग्रोटेक स्टार्टअप में भी महिला उद्यमी कामयाबी की कहानी लिख रही हैं।

9. कृषि और जुडे व्यवसायों में महिला भागीदारी : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल महिला श्रमिकों की 65 प्रतिशत हिस्सेदारी कृषि क्षेत्र में कार्य कर रही है। देश के 11.8 करोड़ कृषकों को में से महिला किसानों की संख्या 30.3 प्रतिशत है। रोजगार की तलाष में ग्रामीण क्षेत्र से नगरों को पुरुषों के बढ़ते पलायन की वजह से भी कृषि और संबद्ध क्षेत्र में महिलाओं के हिस्सेदारी बढ़ रही है। पालतू पशुओं की देखभाल सहित, चारा-घांस की व्यवस्था, दूध निकालना और बागवानी की देखभाल जैसे कई अनगिनत कार्य महिलाओं के हिस्से में आ गये है। कुल कामगार का अखिल भारतीय स्तर पर वर्तमान में सबसे अधिक महिलाएं कृषि क्षेत्र में ही काम कर रही हैं। वहीं सरकार की भी कृषि और कृषि से जुड़े बागवानी एवं पशुपालन जैसे सभी क्षेत्रों में महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

इस प्रकार स्वस्थ सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिलाओं के विरुद्ध होने वाले समस्त अत्याचारों को संवैधानिक प्रावधानों के तहत न्यूनतम स्तर तक लाना अत्यावश्यक है। महिलाओं की इस विकास यात्रा में पुरुषों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना अति आवश्यक है। महिलाओं-पुरुषों में आपसी प्रतिद्वंद्विता का भी खतरा है। विकास के लिए जितना बाधक पुरुष प्रधान का होना है, उतना ही बाधक महिला प्रधान भी साबित होगा। अतः स्वस्थ जबकि समावेशी विकास के लिए दोनों का तालमेल होना आवश्यक है। राजनीतिक भागीदारी सुदृढ़ करना भी आवश्यक है। आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए महिला उद्यमीकरण एवं पितृसत्तात्मक समाज से बाहर निकलकर स्वस्थ समाज की स्थापना हेतु महिला सशक्तिकरण आवश्यक है। महिला उत्थाप के बिना स्वस्थ समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है उसमें महिलाओं की समुचित भागीदारी आवश्यक है। तभी हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत को साकार कर पाएंगे। सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं सत प्रतिशत धरातल पर लागू हों यह केवल सरकारी जिम्मेदारी न होकर सभी का समान उत्तरदायित्व है। तभी समावेशी विकास के साथ विकसित भारत साकार होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची:-

1. कुमारी डॉ. रंजना, (सितंबर 2011), 'स्त्री हत्या की रोकथाम', योजना, पृ.क्र. 06-11
2. वर्मा मंजुला, भगवंता सिंह बघेल, चिंतामणि टांडिया, शिवाजी चौधरी (जुलाई दिसंबर 2023), 'वनाश्रित जनजातीय जीवन में महिलाओं की भूमिका', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 159-170
3. के.के.डॉ. त्रिपाठी एवं डॉ. एस.के. वाडकर (सितंबर 2021) 'स्वयं सहायता समूह', योजना पृ.क्र. 20-25
4. एस. पुरकायस्थ बी. (जनवरी 2024),'महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन', कुरुक्षेत्र पृ.क्र. 45-49
5. मिश्रा अरविंद कुमार (अप्रैल 2023), 'महिला सशक्तिकरण की वाहक ग्राम पंचायतें', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 36-40
6. गोयल डॉ. पीयूष (अगस्त 2023),'मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 16-21
7. पाठक संतोष कुमार (जुलाई 2023), 'कृषि क्षेत्र में बढ़ती महिला उद्यमी', कुरुक्षेत्र, पृ.क्र. 45-50
8. सुगंधे आनंद, सिंपल मिश्रा एवं विनोद सेन (जनवरी-जून 2022), 'महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर स्वयं सहायता समूह के प्रभाव का अध्ययन', मेकल मीमांसा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (मप्र) पृ.क्र. 47-56
9. भारत की जनगणना 2011
10. पंचायत राज अधिनियम 1994
11. नम्रता डॉ. कुमारी (2018), 'महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां एवं समाधान', इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी (ऑनलाइन) पृ.क्र. 481-485
12. दुबे अनीता (2015), 'आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति तथा सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 81-85
13. प्रजापति शक्ति कुमार (2017), 'महिलाओं के प्रति अपराध एवं कन्या भ्रूण हत्या उपाय', इंटरनेशनल रिसर्च जनरल ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज (ऑनलाइन) पृ.क्र. 46-50
14. शुक्ला डॉ. अंजू (जून 2021), बालिका वधरू एक चुनौती,

इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 162-168
15. स्वामी रामचंद्र (जून 2021), 'महिला शिक्षा की आवश्यकता', इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 176-178
16. पाण्डेय डॉ. सीमा (अप्रैल 2021), 'स्त्री अस्मिता मीडिया और बाजार', प्रिंटिंग एरिया, इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड मल्टीएगुंअल रिसर्च जनरल, हर्षवर्धन पब्लिकेशन, बीड, महाराष्ट्र, पृ.क्र. 192
17. कुजूर डॉ. जे.पी. (सितंबर 2012), 'नगरीय महिला श्रम शक्ति की व्यावसायिक संरचना', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, पृ.क्र. 118-122
18. सोनकर डॉ. बी.एल. एवं डॉ अर्चना सेठी (मार्च 2015), 'भारत में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास', माइंड एंड सोसाइटी, मानव नवनिर्माण संस्थान, राजनांदगांव, छग,पृ.क्र. 55-61
19. वर्मा अरुण कुमार (2013), 'स्त्री शिक्षा:एक ऐतिहासिक अध्ययन', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ अंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 74-78
20. गुप्ता वंदना (2013), 'महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण में स्व सहायता समूह की भूमिका', डॉ. आंबेडकर सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, डॉ अंबेडकर नगर (महू), इंदौर पृ.क्र. 187-191
21. https://www.google.com/search?q=karya+sthal+par+mahilao+ka+youn
22. https://www.google.com/search?q=nirbhaya+act+2013+in+hindi&oq=nirbhaya+&gs
23. https://www.google.com/search?q=youn+apradho+se+baccho+ka+sanrakshan+adhiniyam+2012
24. https://www.google.com/search?q=bal+vivah+pratishedh+adhiniyam+2006
25. https://www.google.com/search?q=gharelu+hinsa+se+mahilaon+ka+sanrakshan+adhiniyam+2005
26. https://www.google.com/search?q=mahilao+ka+abhadra+chitran+adhiniyam+1986
27. https://www.google.com/search?q=anaitik+vyapar+nivaran+adhiniyam+1956
28. https://www.google.com/search?q=beti+bachao+beti+padhao+yojana&sca
29. https://www.google.com/search?q=nirbhaya+fund+in+hindi&sca
30. https://www.google.com/search?q=one+stop+centre+and+mahila+helpline+in+hindi&sca
31. https://www.google.com/search?q=kamkaji+mahila+chhatrawas+yojana+kya+hai
32. https://www.google.com/search?q=youn+aparadho+ke+lia+youn+traking+system

****